अति तत्काल
MOST IMMEDIATE
कोर्ट केस
MOST IMMEDIATE
BY ~~FAX~~/SPEED POST

F. No. 24013/43/Misc/2010-CSR.III 2948-2985
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi.
Dated the 7th September, 2010

To,

The Home Secretaries of all State Governments /UT Administrations.

Subject: Preparation of a Victim Compensation Scheme for the victims of crime in view of insertion of a new Section 357-A in the Cr. P. C. through 'The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008' - Regarding.

Sir/Madam,

It may be stated that a new Section 357-A regarding Victim Compensation Scheme has been inserted after Section 357 in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Cr. P.C.), vide 'The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008' (No. 5 of 2009). The said Section 357-A of the Cr. P.C. has come into force with effect from 31-12-2009.

2. The said new Section 357-A provides that :-

" 357A. (1) Every State Government in co-ordination with the Central Government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation.

(2) Whenever a recommendation is made by the Court for compensation, the District Legal Service Authority or the State Legal Service Authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded under the scheme referred to in sub-section (1).

(3) If the trial Court, at the conclusion of the trial, is satisfied, that the compensation awarded under section 357 is not adequate for such rehabilitation, or where the cases end in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated, it may make recommendation for compensation.

(4) Where the offender is not traced or identified, but the victim is identified, and where no trial takes place, the victim or his dependents may make an application to the State or the District Legal Services Authority for award of compensation.

(5) On receipt of such recommendations or on the application under sub-section (4), the State or the District Legal Services Authority shall, after due enquiry award adequate compensation by completing the enquiry within two months.

2/-

(6) The State or the District Legal Services Authority, as the case may be, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first-aid-facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer in charge of the police station or a Magistrate of the area concerned, or any other interim relief as the appropriate authority deems fit."

3. Accordingly, every State Government / UT Administration is required to prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents, who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, in co-ordination with the Central Government.

4. It is, therefore, requested that immediate steps be taken to prepare and implement a scheme for the above purpose in respect of your State/UT. The Central Government, may also be consulted while finalizing the scheme, wherever and whenever required in the matter. The draft scheme may please be prepared within a period of four weeks.

5. The action taken in the matter may please be intimated to this Ministry immediately.

Yours faithfully,

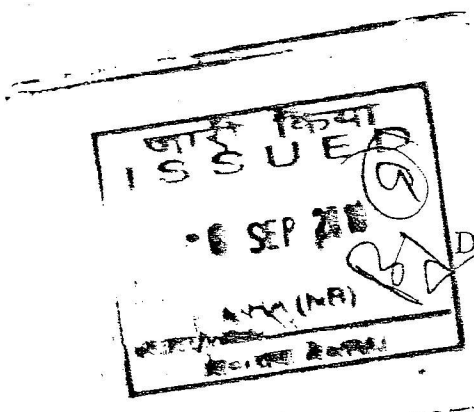

(Prem Narain Saxena)
Deputy Secretary to the Government of India
Telefax No. 2309 3008.

...3/-

अति तत्काल
न्यायालय मामला
स्पीड पोस्ट द्वारा

फा. सं. 24013/43/विविध/2010-सी एस आर.III
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 7 सितम्बर, 2010

सेवा में

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के गृह सचिव।

विषय : 'दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008' के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 357-क को शामिल किए जाने के मद्देनज़र अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित मुआवज़ा योजना तैयार किए जाने के बारे में।

महोदय/महोदया,

यह उल्लेख किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दण्ड प्रक्रिया संहिता) में धारा 357 के पश्चात 'दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन), अधिनियम, 2008' (2009 की सं. 5) द्वारा पीड़ित मुआवज़ा योजना के संबंध में एक नई धारा 357-क को शामिल किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की उक्त धारा 357-क 31.12.2009 से लागू है।

2. उक्त नई धारा 357-क में यह उपबन्ध है कि :-

"357 क (1) प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ समन्वय करके पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को जिन्होंने अपराध के फलस्वरूप क्षति उठाई है अथवा चोट सही है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, मुआवज़ा देने के उद्देश्य से निधियां मुहैया करवाने के लिए एक योजना तैयार करेगी।

(2) जब कभी न्यायालय द्वारा मुआवज़े के लिए कोई संस्तुति की जाए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) में संदर्भित योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे की मात्रा के संबंध में निर्णय लेंगे।

(3) यदि विचारण न्यायालय, मुकद्दमे के निष्कर्ष के पश्चात इस बात से संतुष्ट है कि धारा 357 के तहत दिया गया मुआवज़ा ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, अथवा जहां मुकद्दमों का अंत दोषमोचन अथवा रिहाई से होता है और पीड़ित को पुनर्वासित किए जाने की आवश्यकता है तो यह मुआवज़े के लिए संस्तुति कर सकता है।

(4) जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता अथवा उसकी पहचान नहीं हो पाती किन्तु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई मुकद्दमा नहीं चलाया जाता, तो ऐसे मामले में पीड़ित अथवा उसके आश्रित मुआवज़े के लिए राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(5) ऐसी संस्तुतियों अथवा उप-धारा (4) के तहत आवेदन की प्राप्ति पर राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दो माह की अवधि के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त मुआवज़ा प्रदान करेगा।

(6) राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, पीड़ित व्यक्ति के कष्ट को कम करने के लिए, संबंधित क्षेत्र के कम से कम पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी रैंक के पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर तत्काल नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा लाभ या अन्य अन्तरिम सहायता जैसा भी संगत प्राधिकरण उचित समझे, के लिए आदेश दे सकता है।"

3. तदनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वह केन्द्र सरकार के सहयोग से, पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों, जिनको अपराध के फलस्वरूप क्षति हुई है या घायल हुए हैं और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजा देने के उद्देश्य से निधियां मुहैया करवाने के लिए एक योजना तैयार करे ।

4. अत:, यह अनुरोध किया जाता है कि आप अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपर्युक्त प्रयोजनार्थ एक योजना को तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। योजना को अंतिम रूप प्रदान करते समय, इस मामले में जहां कहीं भी आवश्यक हो, केन्द्र सरकार से भी परामर्श लिया जाए। योजना का मसौदा कृपया चार सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार कर लिया जाए।

5. इस संबंध में की गई कार्रवाई के विषय में इस मंत्रालय को तत्काल सूचित किया जाए।

भवदीय,

ह./-

(प्रेम नारायण सक्सेना)
उप-सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स सं. : 23093008